

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना की
घोषणा करता है

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) विदेश में कार्य करने वाले प्रवासी भारतीय कर्मकारों के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित की गई एक विशेष, स्वैच्छिक स्कीम है।

जब प्रवासी भारतीय विदेशों में कार्य कर रहे होते हैं तो यह स्कीम उनकी भारत में वापसी होने पर उनके पुनर्वासन के लिए उनकी आय के एक भाग की नियमित रूप से बचत करती है तथा उनकी वृद्धावस्था के लिए भी धनराशि बचाती है। एमओआईए अपने स्वयं के बजट में से पेंशन और पुनर्वासन के लिए अंशदान करेगा। एमओआईए समस्त एमजीपीएसवाई सब्सक्राइबर्स को एक बीमा सुरक्षा भी प्रदान करेगा।

स्कीम में शामिल होने के इच्छुक पात्र कर्मकार प्रासंगिक आवेदन प्ररूप तथा पहचान प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत कर इसमें शामिल हो सकते हैं।

पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. ईसीआर पासपोर्ट तथा किसी ईसीआर देश में वैध कार्य परमिट अथवा नियोजन संविदा 2. आयु 18 और 50 वर्ष के बीच 3. अपने नाम पर बैंक खाता 			
लाभ	स्कीम में शामिल होने वाले पात्र प्रवासी कर्मकारों को 3 महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे:- <ol style="list-style-type: none"> 1. एनपीएस-लाइट से पेंशन लाभ 2. यूटीआई एएमसी से "वापसी और पुनर्वासन" (आरएंडआर) बचत लाभ 3. एलआईसी से निःशुल्क जीवन बीमा लाभ 			
स्कीम की भागीदार संस्थाएं	एनपीएस लाइट	यूटीआई	एलआईसी	बैंक ऑफ बड़ौदा

सब्सक्राइबर	न्यूनतम बचत प्रति सब्सक्राइबर प्रतिवर्ष	एमओआईए अंशदान प्रति सब्सक्राइबर प्रतिवर्ष	कुल बचत प्रति सब्सक्राइबर प्रतिवर्ष
महिला कर्मकार	5,000 रुपए	2,000+900 रुपए	7,900 रुपए
पुरुष कर्मकार	5,000 रुपए	1,000+900 रुपए	6,900 रुपए

एमओआईए से प्राप्त होने वाले लाभ न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा विदेशी नियोजन की अवधि के लिए, जो भी कम हो, प्रदान किए जाएंगे

एमजीपीएसवाई लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने अथवा स्कीम में शामिल होने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की निकटतम शाखा अथवा यूएई में भारतीय कर्मकार संसाधन केन्द्र से संपर्क करें (कार्य दिवसों पर अपराह्न 3 बजे से सायं 7 बजे तक)

टोल फ्री हैल्प लाइन पर काल करें :

1800113090 (भारत), 80046342 (यूएई)

ई-मेल : inf.mgpsy@moia.nic.in अथवा helpline@iwrc-uae.com

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा स्कीम में आज ही शामिल हों !

महत्वपूर्ण : कृपया इस स्कीम में शामिल होने से पूर्व अथवा उसके उपरांत किसी को भी नकद राशि का भुगतान न करें।